राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

शास्त्री के लिए कोहली ने तोड़ा प्रोटोकॉल
>> 12

वर्ष 3 अंक 53

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

जंगल बनाने में जुटे चंबल के चार डॉक्टर

ग्वालियर : चंबल के ये चार डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाने की नौबत आए। वे भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। नहीं चाहते कि आने वाले समय में लोगों को बोतलबंद ऑक्सीजन का मोहताज होना पड़े। लिहाजा, जल्द से जल्द घना जंगल बसा देने में जुटे हुए हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

ये है गौरांग महाप्रभु का बैंक, जिसे जरूरत हो ले ले पैसे

धनबाद : न गारंटर की जरूरत, न ब्याज देने की बाध्यता। और ना ही पैसे लौटाने का दबाव। हां, दहेज लिया तो दंड के रूप में ली जाती है रकम। धनबाद के ओझाडीह गांव में चलता है सौ साल पुराना अनोखा बैंक। सारा खेल आस्था पर टिका है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

राज्यसभा ने नए एनएमसी में राज्यों को दी तरजीह

नई दिल्ली : प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने राज्यसभा में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला पारित किया है। लोकसभा से पारित एनएमसी बिल में राज्यसभा ने तीन संशोधन किए हैं। इससे 25 सदस्यीय एनएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़कर 33 होना शामिल है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

ईडी ने आजम खां के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

लखनऊ : सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम खां के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

क्रिसिल ने भी जीडीपी विकास दर अनुमान घटाया

नई दिल्ली : देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए आर्थिक विकास दर अनुमान घटा दिया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर अनुमान 20 आधार अंक कम करते हुए 6.9 फीसद रखा है। इस कटौती के लिए क्रिसिल ने मानसून के पर्याप्त नहीं होने और वैश्विक मंदी को सबसे प्रमुख कारण बताया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

मारा गया ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा

वाशिंगटन : अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा (30) भी मारा गया। हमजा ने अपने पिता की मौत का बदला देने के लिए कई बार अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। यह हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि अलकायदा के उत्तराधिकारी माने जा रहे हमजा को कब और कहां ढेर किया गया। उसके पिता ओसामा को अमेरिका ने मई, 2011 में पाक के एबटाबाद में मार गिराया था।

दिल्ली में चलेंगे सारे केस, 45 दिन में इंसाफ

उन्नाव कांड ▶ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को रायबरेली सड़क हादसे की जांच सात दिन में पूरी करने को कहा

पीड़िता की चिट्ठी और उसकी मां की याचिका पर दिए आदेश, आज फिर सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीड़िता और उसके परिजनों को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का निर्देश
- यूपी सरकार ने पीड़िता की मां को सौंपा 25 लाख रुपये का चेक
- सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर आज भी होगी सुनवाई

उन्नाव दुष्कर्म कांड में जल्द और पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़िता की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे लखनऊ की सीबीआइ अदालत से दिल्ली की अदालत स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को हुई दुर्घटना मामले की जांच सीबीआइ को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि बहुत जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी सात दिन और ले सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद समझा जाए।

कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीड़िता की मां को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। इसके बाद देर रात लखनऊ के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा और एसएसपी कलानिधि नैथानी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और 25 लाख रुपये का चेक पीड़िता की मां को सौंप दिया। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा भी प्रदान कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई अभियुक्त हैं। गत रविवार को सड़क दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना से पहले पीड़िता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी भेजकर अभियुक्तों पर धमकी देने और सुलह के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी। इसी चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी किए।

तीसहजारी में जिला जज धर्मेश की अदालत में स्थानांतरित : कोर्ट ने पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमों का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने की मांग स्वीकारते हुए दुर्घटना सहित मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे दिल्ली की तीसहजारी में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में स्थानांतरित कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एकतरफा सुनवाई में ये आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अभियुक्तों को आदेश में बदलाव कराने की मांग कोर्ट के सामने रखने की छूट होगी।

परिवार चाहे तो पीड़िता व वकील को इलाज के लिए दिल्ली भेज सकते हैं : कोर्ट ने दुर्घटना में घायल पीड़िता और वकील का इलाज कर रहे लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पूछा था कि क्या दोनों की हालत ऐसी है कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया जा सके। कोर्ट को बताया गया कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें एयर लिफ्ट करके स्थानांतरित करने की स्थिति है। कोर्ट ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए स्थानांतरित करने पर पीड़िता व घायल वकील के परिवार की राय पूछी है। इसके बाद कोर्ट इस पर आदेश देगा।

आज दाखिल होगी सीआरपीएफ सुरक्षा पर अनुपालन रिपोर्ट : कोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि वह पीड़िता, उसकी मां और भाई-बहनों के अलावा चाचा के परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा दे। सुरक्षा तत्काल दी जाए और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट को दी जाए।

पीड़िता के चाचा को दिल्ली जेल स्थानांतरित करने पर जवाब आज : प्रदेश सरकार शुक्रवार को कोर्ट को बताएगी कि क्या सुरक्षा कारणों से पीड़िता के चाचा को रायबरेली की जेल से दिल्ली जेल स्थानांतरित किया जा सकता है। पीड़िता के चाचा को अभियुक्तों के साथ मारपीट से जुड़े 2001 के विवाद में हत्या के प्रयास के आरोप में सजा हुई है। उसकी पत्नी की भी रविवार को हुई दुर्घटना में मौत हो गई है और उसके अंतिम संस्कार के लिए वह फिलहाल पैरोल पर है।

पीड़िता की चिट्ठी सीजेआइ के सामने पेश करने में हुई देरी की जांच का आदेश पेज>>6

यह क्या हो रहा है, हम अपनी ड्यूटी में फेल हैं : सीजेआइ

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) ने पूरी घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह क्या हो रहा है। हम अपनी ड्यूटी में फेल हैं। कोर्ट रजिस्ट्री के विधायी व्यवस्था का जिक्र करने पर कहा, यह क्या घटित हो रहा है और आप कोर्ट से कानून के चौखाने में फिट मुआवजे का आदेश देने की बात कर रहे हैं।

भाजपा से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर

लखनऊ : उन्नाव दुष्कर्म कांड व रायबरेली हादसे के आरोपों से घिरे विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने गुरुवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार देर शाम कहा कि पहले से ही निलंबित चल रहे विधायक को अब पार्टी से निकाल दिया गया है।

कश्मीर में 280 और कंपनियों को तैनात किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की 280 और कंपनियां (28000 जवान और अधिकारी) तैनात की जा रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य में सौ अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने की घोषणा की गई थी।

जम्मू संभाग में ही नहीं, घाटी में भी कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से सीआरपीएफ (सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल) को मुक्त कर उसके स्थान पर एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) और बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ को पूरी तरह आतंकरोधी अभियानों और कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी में लगाया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सभी संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात किया जा रहा है। हालांकि राज्य पुलिस या गृह विभाग ने इस विषय में किसी तरह की कोई जानकारी या बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक ही अर्धसैनिक बलों की 280 कंपनियों की तैनाती से हलचल और अफवाहों का दौर फिर तेज हो गया है। श्रीनगर शहर के साथ घाटी के अन्य प्रमुख शहरों व कस्बों में आने-जाने के सभी रास्तों पर केंद्रीय अर्धसैनिकबलों को तैनात कर दिया गया है। हाईवे पर अस्थायी नाकों और चौकियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ कंपनियों को कठुआ के उच्चपर्वतीय इलाकों में और मुगल रोड पर स्थित राजौरी-पुंछ में भी तैनात किया गया है। इसके अलावा आइटीबीपी की कुछ टुकड़ियों को जवाहर सुरंग के आसपास के इलाके में भी तैनात करने की चर्चा है।

दिल्लीवालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा एलान
- नई घोषणा पर 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी सरकार

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रंप कार्ड खेलते हुए दिल्ली में प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने का एलान किया है। यही नहीं, अगर आप 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो भी आपको आधा बिल ही भरना होगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला तुरंत लागू भी कर दिया है। इस घोषणा से करीब 33 लाख घरों को फायदा पहुंचेगा। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केजरीवाल ने यह घोषणा की। इस नई घोषणा पर दिल्ली सरकार लगभग 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी।

केजरीवाल ने बताया कि मुफ्त बिजली को लेकर सब्सिडी करीब-करीब उतनी ही है, जितनी पिछले सालों में दी जाती रही है। हर साल हमारा सब्सिडी का बिल 1,800 से 2,000 करोड़ के बीच होता है। इसलिए सब्सिडी बिल में खास वृद्धि की उम्मीद नहीं है। उसी सब्सिडी को हमने इस साल रिस्ट्रक्चर किया है।

मंत्रियों, सांसदों की तरह आम आदमी को भी मुफ्त बिजली: सीएम ने कहा कि हमारे देश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के लिए बिजली मुफ्त है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर एक आम आदमी 24 घंटे मेहनत करके अपना परिवार चलाता है, उसको मैं वही सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं। एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा, इस समय करीब 35 फीसद उपभोक्ता हैं जो प्रतिमाह 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। सर्दियों में यह फीसद लगभग 70 तक पहुंच जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पहले हर साल बिजली की दरों में इजाफा कर दिया जाता था।

200 यूनिट से ज्यादा होने पर यह है नियम : सरकार के फैसले के बाद काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर 200 से एक यूनिट भी ज्यादा खपत हुई तो क्या होगा? ऐसे में आपको बता दें कि यहां 2015 में बना नियम ही काम करेगा कि 200 से ऊपर यूनिट होने पर पूरे बिल का आधा आपको देना होगा। उदाहरण के तौर पर 300 यूनिट होने पर 150 यूनिट का बिल भरना होगा।

भाजपा ने सरकार की घोषणा को बताया चुनावी स्टंट

दिल्ली सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त करने की घोषणा को भाजपा ने चुनावी स्टंट करार दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, वह सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को स्थायी शुल्क के नाम पर दिल्लीवालों से वसूले गए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये भी वापस करने होंगे। पैसे वापस दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, आप सरकार ने दिल्लीवासियों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अब नाकामी छिपाने के लिए चुनाव से पहले मुफ्त का पिटारा खोल रहे हैं। वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने बजट में इसके लिए पहले से कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि किस मद से यह राशि खर्च करेंगे? (संबंधित खबरें पेज-2 पर)

जाधव को भारतीय राजनयिक से मिलाने पर पाक राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पाकिस्तान के सशर्त प्रस्ताव पर भारत कर रहा है विचार, आज पाक राजनयिक की मौजूदगी में मुलाकात की पेशकश की

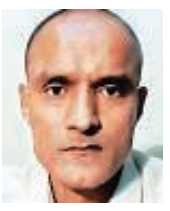

कुलभूषण जाधव

पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) देने का फैसला तो कर लिया है लेकिन इसमें पेंच लगाने से बाज नहीं आया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले के दो हफ्ते बाद पाक ने सशर्त प्रस्ताव भेजा है। आइसीजे के फैसले के मुताबिक पाक को जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की इजाजत देनी है। माना जा रहा है कि पाक ने शुक्रवार (2 अगस्त, 2019) को ही इस मुलाकात का प्रस्तावित समय भेजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। जल्द ही जवाब दे दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक पाक के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम राजनयिक चैनल पर इसका जवाब उचित समय पर देंगे।' कुमार ने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने जिन शर्तों के साथ 49 वर्षीय जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने का प्रस्ताव रखा है, उसको लेकर भारत की अपनी आपत्तियां हैं। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक वहां की सरकार ने यह शर्त रखी है कि मुलाकात में भारत की तरफ से दो राजनयिक रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान का एक राजनयिक भी मौजूद रहेगा। चूंकि आइसीजे के आदेश में किस तरह से मुलाकात करवाई जाएगी, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए पाकिस्तान सरकार ऐसा प्रस्ताव कर सकती है। अब देखना है कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। सनद रहे कि आइसीजे ने 17 जुलाई को अपने आदेश में यह कहा था कि पाकिस्तान सरकार फांसी की सजा पाये कुलभूषण जाधव को जेनेवा समझौते के तहत सारे अधिकार दे। इसके तहत उसे भारतीय राजनयिक की पहुंच देने का भी आदेश दिया गया था। वैसे इस आदेश से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से 16 दफे इस बात का आग्रह कर चुकी थी कि उसे जाधव से अपने राजनयिकों से मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनका जवाब तक नहीं दिया। जाधव की मां और पत्नी को मिलने की इजाजत जरूर दी लेकिन उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया। कैमरे के आगे मुलाकात कराई और जाधव की पत्नी और मां की बिंदी, मंगलसूत्र और चप्पलें तक उतरवा लीं।

आइसीजे के आदेश को भी पाक ने अपनी जीत के तौर पर दर्शाया था। जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा दे रखी है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव एक भारतीय खुफिया एजेंट है जो वहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत का कहना है कि जाधव पूर्व नौसेना अधिकारी है जो अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान में था और वहां से उसका अपहरण कर उसे पाकिस्तान ले जाया गया है।

पाक का एक और 'भारतीय जासूस' पकड़ने का दावा

लाहौर, प्रेट्र : पाक में पंजाब प्रांत की पुलिस ने डेरा गाजी खान कस्बे में कथित रूप से राजू लक्ष्मण नाम के 'भारतीय जासूस' को पकड़ने का दावा किया है। भारत ने इस बात का खंडन किया है। (पेज-11)

बिना दस्तावेज आए मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति से पूछताछ

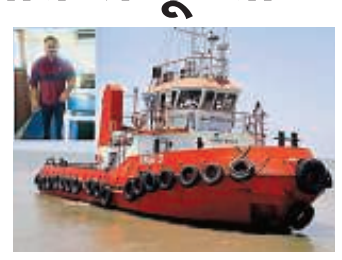

पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीबा को तूतीकोरिन में इसी नौका से पकड़ा गया था। एएनआइ

तूतीकोरिन, प्रेट्र : मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर गुरुवार को समुद्री मार्ग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचे। सूचना मिलने पर केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं और उन्होंने गफूर से पूछताछ शुरू की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गफूर बिना वैध दस्तावेजों के गलत तरीके से भारत में आए हैं। उनसे इस बाबत पूछताछ की गई है। उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

जिला स्तर के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जहाज से आए गफूर अभी बंदरगाह की धरती पर नहीं उतरे हैं। सूचना पर आए केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे भारत आने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारी के अनुसार गफूर के आने की कोई सूचना उनके पास नहीं थी। जो जहाज उन्हें लेकर आया है उसके नौ सदस्यीय चालक दल को भी रोक लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि देश में विदेशियों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग से गफूर भारत नहीं आए हैं। उनके इस तरह से भारत आने की अनुमति नहीं थी। पूछताछ में पता चला है कि उनके पास निर्धारित यात्रा दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए अब उन्हें भारत में रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें वापस कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मालदीव हिंद महासागर के बीच भारत का मित्र देश है। वहां पर चीन भी अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है। कई साल राजनीतिक उठापटक के बाद वहां पर इसी साल लोकतंत्र की बहाली हुई है। वहां की राजनीतिक स्थिति बहुत संवेदनशील है। इस लिहाज से भारत सरकार ने सोच-समझकर इस मामले में फैसला किया है।

अयोध्या विवाद के मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, आज होगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में गुरुवार को उत्तर प्रदेश सदन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर। प्रेट्र

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। कोर्ट मामले पर शुक्रवार को विचार करेगा और रिपोर्ट देखकर आगे की कार्यवाही पर फैसला लेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण व एस अब्दुल नजीर हैं।

तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रेजिस्ट्री को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिये सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से 31 जुलाई तक मध्यस्थता में हुई प्रगति पर एक अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की ओर से गुरुवार को दोपहर बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था। इसलिए रिपोर्ट के तथ्यों को रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा।

क्या है मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू, मुस्लिम सभी पक्षों ने अपील दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है। इस बीच गत 8 मार्च को कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए भेज दिया था और तीन सदस्यों का मध्यस्थता पैनल गठित किया था। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमई कलीफुल्ला हैं जबकि आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू सदस्य हैं।

कोर्ट ने शुरू में मध्यस्थता के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था जिसे बाद में पैनल के अनुरोध पर बढ़ा कर 15 अगस्त तक कर दिया था। इस बीच मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता में कुछ ठोस प्रगति नहीं हुई है और इससे विवाद का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर अपीलों पर जल्दी सुनवाई शुरू करे। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 11 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी थी और 18 जुलाई की रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय देते हुए एक अगस्त को फिर रिपोर्ट देने को कहा था।

आइबीसी बिल पर लगी मुहर

आइबीसी संशोधन विधेयक संसद से पारित, वित्त मंत्री बोलीं सरकार फ्लैट खरीदारों के सभी मामलों पर सक्रियता से कर रही विचार, सभी पक्षों को स्वीकार करनी होगी अनुमोदित योजना

330 दिनों में निपटानी ही होगी दिवालिया प्रक्रिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में चर्चा का जवाब देतीं निर्मला सीतारमण।

कंपनियों की दिवालियापन प्रक्रिया 330 दिनों में पूरी करने के प्रावधान के साथ संसद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। लोकसभा में गुरुवार को सभी सात संशोधनों के साथ यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट कंपनियों में फंसे फ्लैट खरीदारों को भी भरोसा दिया कि यह कानून उनकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। सरकार फ्लैट खरीदारों से जुड़े सभी मामलों, जिनमें जेपी इन्फ्रा का मामला भी शामिल है, पर सक्रियता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फ्लैट खरीदारों के हित में जितना कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

राज्यसभा इसे सोमवार को ही पारित कर चुकी है। संशोधन विधेयक में डिफॉल्टिंग कंपनियों के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को समाधान योजना से मिलने वाली राशि के वितरण पर स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। साल 2016 में आइबीसी कानून बनने के बाद यह तीसरा मौका है जब सरकार ने इस कानून में संशोधन किए हैं। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपने शुरुआती ढाई साल में यह विधेयक काफी प्रभावी रहा है। इसका असर कॉरपोरेट जगत पर भी दिखा है। विधेयक में कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित समस्त प्रक्रिया को निपटाने के लिए 330 दिन का समय निश्चित किया गया है। इस समय सीमा में मुकदमेबाजी का चरण और न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल है। पहले इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए 270 दिनों की समय सीमा निर्धारित थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सरकार इस अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन लाई। पुराने कानून में कुल सात संशोधन किए गए हैं। मंत्री ने साथ ही कहा कि मंजूर होने वाली समाधान योजना केंद्र व राज्य सरकारों और विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब यह देश डिफॉल्टर्स का स्वर्ग नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष बकाया मामलों की अधिक संख्या के बारे में सीतारमण ने कहा कि इनमें से 73 फीसद मामले ऐसे हैं, जो पहले से बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआइएफआर) में थे और बीते कई वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे थे।

बढ़ेगी एनसीएलटी की क्षमता : उन्होंने कहा कि सरकार एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सरकार एनसीएलटी की बेंच की संख्या को 10 से बढ़ाकर 15 करना चाहती है। उन्होंने बताया कि 335 मामले ऐसे हैं, जो 330 दिनों की सीमा पार कर चुके हैं। 445 मामले ऐसे हैं, जिनमें 270 दिन से अधिक हो गए हैं। जिन 475 मामलों में कंपनियों को बिक्री के लिए भेजा गया है, उनकी कीमत 24,417 करोड़ रुपये है। जबकि इन मामलों में दावा 3,46,655 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने कहा कि आइबीसी में सीमा पार इन्सॉल्वेंसी को भी शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा जारी है। सरकार संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करने के बाद कोई फैसला करेगी।

अब यह होगा

- कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को समाधान प्रक्रिया से मिली रकम के बंटवारे का अधिकार होगा
- एनसीएलटी को बताना होगा कि किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार करने में देरी की वजह क्या रही
- केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी वैधानिक प्राधिकरणों को समाधान योजना स्वीकार्य होगी
- बोलीकर्ताओं के लिए समाधान योजना से पीछे हट जाना आसान नहीं होगा